हो।

गैरसायल को अन्तर्गत धारा 91(3) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस जारी हो। पत्रावली आयन्दा दिनांक 14.02.2017 को पेश हो।

तहसीलदार, रियां बड़ी
(नागौर - राजस्थान)

32
25-1-2017

-2.2017 पत्रावली पेश हुई। गैर सायल बावजूद तामील गैर हाजिर
पत्रावली का अवलोकन किया संक्षेप में विवरण इस
प्रकार है कि पटवारी हल्का बगड़ी में मौजा बगड़ी के
ख०न० 347 रकबा 0.03 हैक्टर किस्म भूमि गै मु.
श्मशान पर सम्वत 2073 की रबी में भागूराम उर्फ
भागीरथ पुत्र चौमाराम कौम जाट नि० बगड़ी के द्वारा
डोल डालकर कब्जा करने के सम्बन्ध में बी-1 रिपोर्ट
पेश किया। जिस पर इस न्यायालय ने गैर सायल
भागूराम उर्फ भागीरथ पुत्र चौमाराम कौम जाट नि० बगड़ी
के विरुद्ध राजस्व प्रकरण दर्ज कर गैर सायल के विरुद्ध
LRAct 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी
किया गया और सायल बावजूद तामील गैर हाजिर रहा
ऐसी स्थिति में गैर सायल के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही
किया जाना उचित प्रतीत होता है। गैर सायल भागूराम उर्फ
भागीरथ पुत्र चौमाराम कौम जाट नि० बगड़ी को मौजा
बगड़ी के ख०न० 347 रकबा 0.03 हैक्टेयर किस्म
भूमि गै मु श्मशान भूमि पर नाजायज रूप से अतिक्रमण
करने के कारण अतिक्रमण अतिक्रमी घोषित किया
जाकर राजकीय भूमि गै मु श्मशान पर किये गये
अतिक्रमण को भौतिक रूप से बेदखल करते हुए
अराजी के लगान का पचास गुणा शास्ति 91(1)

तहसीलदार, रियां बड़ी
(नागौर - राजस्थान)

अक्षरे 11 (शामलात भोम) कायम किये नहीं है। पटवारी [illegible]
हल्का [illegible] को भूमि [illegible] का रकबा [illegible]
किये गये अतिक्रमण से [illegible] रूप से बेदखल करने
के आदेश दिये गये हैं। [illegible] भूमि [illegible]
[illegible]
[illegible] दिनांक 14.2.2017
को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार, रियां बड़ी
(नागौर - राजस्थान)

वर्ष 2073 [illegible] 11 [illegible]
रा.ले. [illegible] 142 [illegible] दर्ज की।
तहसील [illegible] रियांबड़ी